



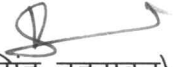
उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/196 /

जबलपुर, दिनांक 16 / 01 / 2026

श्री रामचरण कुशवाहा, फर्राश, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को दिनांक 14.07.2025 से 20.09.2025 तक 69 दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21.09.2025 से 15.10.2025 तक 25 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 16.10.2025 से 14.12.2025 तक 60 दिन का अवैतनिक किया जाता है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक A/197 /

जबलपुर, दिनांक 16 / 01 / 2026

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
3. सहायक स्थापना/वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर,
5. श्री रामचरण कुशवाहा, फर्राश, यूनिक कोड नं. 180401096 उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)